(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी

रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पहाडी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी अभियुक्त को एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

एक अदद तमंचा 315 बोर मय

01 अदद जिन्दा कारतूस

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है थाना पहाड़ी निवासी एक वादी द्वारा दिनांक 22.04.2026 को थाना पहाडी पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त अंकित पुत्र कामता वर्मा निवासी पहाडी बुजुर्ग अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया। इस सूचना पर थाना पहाडी में में मु0अ0सं0 74/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अंकित उपरोक्त पंजीकृत किया गया। वादी कि निशादेही पर अभियुक्त अंकित वर्मा उपरोक्त के बाबूपुर थाना पहाडी बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया तलाशी के दौरान कमर में एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाडी में मु0अ0स0 75/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह

2.आरक्षी बहोरन सिंह

3.महिला आरक्षी प्रियंका सिंह

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्री प्रकाश यादव एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप

माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 23.04.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 1149/10 के धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त तीरथ केवट पुत्र रामसजीवन निवासी बरियारी खुर्द थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्री प्रकाश यादव एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा दिनांक 23.04.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त किशोर पुत्र कलंधर निवासी सुरौंधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

(5).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा शराब के नशे में मारपीट कर हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.04.2026 को वादिया श्रीमती गौरा देवी पत्नी शिवऔतार निवासी खाँच मजरा रुकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा द्वारा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना बहिलपुरवा में तहरीर दी गयी थी कि दिनांक 16.04.2026 को मेरा लडका मनोज पटेल शाम करीब 07.00 बजे घर का सामान लेने बाजार गया था उसी समय गांव के ही संतोष पटेल पुत्र स्व0 मुन्ना प्रसाद व अजय उर्फ पप्पू पुत्र मतगंजन के साथ मेरा लडका संतोष के घर गया तीनो लोग शराब पीने लगे तीनो लोगो मे झगडा हो गया उसी समय मेरा लडका नशे की हालत में छत से नीचे गिर गया जिसे गंभीर चोटें आयी और वह बेहोश हो गया डर के मारे संतोष व अजय उर्फ पप्पू दोनो लोग मेरे पुत्र को प्राथमिक विद्यालय खाँच के पास ले गये और उसके ऊपर मोटर साईकिल रख दिया और मुझे सूचना दी कि आपके लडके का एक्सीडेन्ट हो गया है प्राथमिक विद्यालय के पास पड़ा है जिसे हमलोग बेहोशी की हालत में जिला अस्तपाल कर्वी ले गये जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे प्रयागराज रेफर कर दिया मेरे पुत्र के होश में आने पर उसने बताया गया कि संतोष व अजय उपरोक्त के द्वारा उसे मारापीटा गया उसी झगडें में वह छत से गिर गया जिससे हाथ पैर व सर में गंभीर चोट आयी है। सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0स0 19/26 धारा 115(2),110 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.04.2026 को इलाज के दौरान मनोज पटेल उपरोक्त की मृत्यु हो गयी विवेचना में क्रम में मुकदमा उपरोक्त

में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी एवं धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुये धारा 238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 23.04.2026 को थानाध्यक्ष बहिलपुरवा व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 19/26 धारा 103(1),115(2),238 बीएनएस के वांछित अभियुक्त 1. संतोष पटेल पुत्र स्व0 मुन्ना प्रसाद 2. अजय उर्फ पप्पू पुत्र मतगंजन निवासी खाँच मजरा रुकमाबुजुर्ग थाना बहिलपुरवा द्वारा जनपद चित्रकूट को देवांगना घाटी के पास समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

*गिरफ्तार करने वाली टीम-*

1.थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी

2.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय

3.आरक्षी मोनू राय

4.मुख्य आरक्षी चालक राजकुमार यादव